UPRN010059782016

न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 4, कानुपर देहात

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या–408/2016</u>

राज्य---अभियोगी।

बनाम

श्यामबाबू पुत्र स्व० सोनेलाल, निवासी–स्वरूपपुर, थाना–अकबरपुर, कानपुर देहात

...............अभियुक्त।

मु०अ०सं०-76/2016
धारा-136/137 विद्युत अधिनियम
थाना-ककवन, कानपुर नगर।

<u>दिनांकः 31.01.2024</u>

पत्रावली निस्तारण हेतु आज अदालत में पेश हुयी। अभियुक्त श्यामबाबू की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त वाद को निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली से परिशीलन से परिलक्षित है कि न्यायालय द्वारा सत्र वाद संख्या–408/2016 सरकर बनाम विपिन पाल आदि, मु०अ०सं–76/2016, धारा–136/137 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–ककवन, कानपुर नगर में अभियुक्त श्यामबाबू उपस्थित आया और उसके द्वारा जुर्म इकबालिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमें का फैसला किए जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त की याचना एवं वाद के तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को उक्त वाद में धारा–136/137 भारतीय विद्युत अधिनियम में हाईटेंशन तारों तथा स्पेशर को चोरी करने एवं अभियुक्त के पास से कंडेक्टर स्पेशर रिंग 24 अदद तथा 16 अदद एवं हैण्ड स्पेशर रिंग 119 अदद बरामद किये जाने पर आरोपित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने जुर्म को स्वीकार किया गया है तथा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमें का फैसला किए जाने की याचना की गयी है, उक्त मामला साबित होने पर अभियुक्त को उक्त वाद में धारा –136/137 भारतीय विद्युत अधिनियम में 10,000/–रूपये (दस हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने दशा में अभियुक्त द्वारा पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगी जावेगी।

तदनुसार अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। शेष अभियुक्त के संबंध में पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 15.02.2024 को पेश हो।

(रवि यादव),
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)
कानपुर देहात।

Digitally signed by Ravi Yadav
Date: 2024.02.02 15:20:27 IST
Reason: Confession Judgement
Location: 4th ADJ/Spl. Judge (Ele. Act)